पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी अनु०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट संवत 2076 में इस आशय की पेश की कि ग्राम मनकसास के भूमि ख० नं० 2498/63 कुल रकबा 1.2500 किस्म बंजड़-2 में से रकबा 0.3000 हे. भूमि पर शोभाराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी ढाणी तामिवाला मनकसास ने लोहे का कबाड़ डालकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण रा०भू० रा० अधि० 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अतिक्रमी को तलब किया गया। नोटिस बाद तामिल शामिल मिसल रखा गया।

नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी न्यायालय में उपस्थित हुआ और नोटिस जवाब पेश किया कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर काफी वर्षों से कब्जा काश्त रहा है तथा लोहे का कबाड़ तो प्रार्थी अस्थाई रूप से डाला है अतः नोटिस खारीज फरमाया जाकर नियमन किये जाने का अनुरोध।

र (झुन्झुनूं)

रिपोर्ट पटवारी हल्का व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध है जो नियमन की तारीफ में नहीं आता है। चूंकि प्रार्थी

| श | कार्यवाही विवरण | अनुप क्रमांक |
|---|---|---|
| | ने अपने पक्ष के ऐसे कोई ठोस साक्ष्य इत्यादि पेश नही किये है जिससे प्रार्थी का कब्जा लगातार साबित होता हो अत: अतिक्रमी रा० भू० रा० अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर और बहस पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा अतिक्रमी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने स्वरूप सरह लगान 0-50 रु० का 50 गुणा लगान की कुल राशि 25/- अक्षरे पच्चीस रुपये बतौर शास्ती पैनल्टी आरोपित किये जाते है अतः कार्यवाही हेतु तहसील शाखा लेखारूप व बेदखली व वसूली हेतु भू० अ० नि० / प०ह० को लिखा जावे / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो / | |
| | निर्णय आदिनांक 20.5.19 को मेरे द्वारा | |

Scanned by CamScanner